

न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला-स0मा0

मु.नं. :14/2025	तारीख रजू 15.07.2025	निर्णय दिनांक 25.07.2025
-----------------	----------------------	--------------------------

सरकार बनाम सुरेश

—: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चूली ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि श्री सुरेश पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी चूली ने ग्राम चूली के खंसरा नं. 1281 रकबा 20 X 40 वर्गफीट किस्म बारानी 1 मंदिर माफी (सिवायचक) पर संवत् 2082 में अनाधिकृत रूप से चारदीवरी पक्की कर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायलान बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायलान द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावे एवं इन पर लगान 0.61/- की 50 गुना शास्ति 31/-रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवे। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर“घ” के पेज संख्या
पर रुपये 31/- की कायमी वर्ष
2025-26 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार


(बृजेश कुमार शिहरा)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी